संख्या– 1390 /अड़तीस–7–2012–200नरेगा/2009

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

रोजगार गारण्टी आयुक्त/आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7

लखनऊः दिनांकः ०५ जुलाई, 2012

विषय– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित किये जाने हेतु सामाजिक अंकेक्षण(सोशल आडिट) कराये जाने हेतु, "उत्तर प्रदेश(महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना) सोशल आडिट संगठन" की स्थापना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 की धारा–24(1) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण(Independent Social Audit) की व्यवस्था का निर्णय लेते हुए "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम 2011(नियमावली) प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली के प्रस्तर–4 में सभी राज्यों में ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा को सुगम बनाये जाने के लिए नरेगा अधिनियम के अधीन स्वतंत्र संगठन(सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई) की स्थापना किये जाने की व्यवस्था है।

2– भारत सरकार के संदर्भित लेखा परीक्षा नियम 2011(नियमावली) में दी गयी उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश में **उत्तर प्रदेश(महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना) सोशल आडिट संगठन** की स्थापना से संबंधित प्रस्तावित मेमोरैण्डम आफ एसोसिएशन **(Memorandum of Association)** तथा उत्तर प्रदेश मनेरगा सोशल आडिट संगठन एसोसिएशन **(RULES OF THE UTTAR PRADESH(MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE SCHEME) SOCIAL AUDIT ORGANIZATION)** संलग्न है।

सोशल आडिट संगठन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करेगा। इस संगठन का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण प्रदेश होगा। संगठन मनरेगा योजना के एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य करेगा।

3— मनरेगा योजनान्तर्गत किये गये कार्यो की सामाजिक अंकेक्षण (सोशल आडिट) प्रक्रिया को सशक्त बनाये जाने हेतु संगठन द्वारा निम्न कार्य व्यवहृत किये जायेंगे:

1. निष्पक्ष एवं उद्देश्य परक सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु उपयुक्त वातावरण तैयार करना।
2. सरकारी नियंत्रण के साथ—साथ कार्यदायी संस्थाओं से स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया को बनाये रखना।
3. राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये मनरेगा एवं अन्य शासकीय कार्यक्रम/योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण कार्य कराना।
4. सामाजिक अंकेक्षण कार्य किये जाने हेतु आधार भूत क्षमता सृजन एवं संवर्धन।

4— इस संगठन की स्थापना तथा इसके संचालन पर होने वाला समस्त व्ययभार मनरेगा योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यय मद में दी जाने वाली धनराशि से वहन किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा इस हेतु कोई धनराशि व्यय/उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। संगठन (सोसाइटी) के अधीन सोशल आडिट डाइरेक्टेट का गठन एवं निम्नलिखित पदों का सृजन किया जाता है:—

1.	निदेशक, सोशल आडिट	**01 पद**
2.	संयुक्त निदेशक	**01 पद**
3.	सोशल आडिट विशेषज्ञ	**02 पद**
4.	लेखा से सम्बन्धित	**02 पद**
5.	प्रशासनिक अधिकारी	**02 पद**

उक्त पदों पर नियुक्त होने वाले सभी कार्मिक (प्रतिनियुक्त पर लिये गये लोक सेवकों को छोड़कर) सोसाइटी के ही कार्मिक होंगे तथा वे राज्य सरकार के कार्मिक नहीं माने जायेंगे।

5— जब तक प्रस्तावित संगठन (सोसाइटी) के ढांचे एवं रिसोर्स पर्सन के संबंध में भारत सरकार द्वारा कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक शासनादेश संख्या—3124/38—7—09—200/एनआरईजीए/09, दिनांक: 14—10—2009 के अनुसार संविदा पर रखे गये सामाजिक अंकेक्षण समन्वयक (सोशल आडिट कोआर्डिनेटर) को एक वर्ष के लिए संगठन के कार्यो हेतु नवीनीकृत किया जाता है तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत में उक्त शासनादेश के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण समिति गठित की जाय।

6— उत्तर प्रदेश (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना) सोशल आडिट संगठन के सुचारू रूप से संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु निम्नवत् तीन घटक होंगे तथा इसका पंजीकृत कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, 10वॉ तल जवाहर भवन के पते पर होगा:—

1. जनरल बाडी
2. गवर्निंग बाडी
3. एक्जीक्यूटिव कमेटी।

7— उत्तर प्रदेश (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना) सोशल आडिट संगठन के **Memorandum of Association** तथा **RULES OF THE UTTAR PRADESH(MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE SCHEME) SOCIAL AUDIT ORGANIZATION** का पंजीकरण सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत किया जाय।

कृपया तद्नुसार समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या— 1390 (1)/अड़तीस—7—2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त परियोजना निदेशक/संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उ0प्र0।
(6) वेब मास्टर, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) गार्ड बुक।

आज्ञा से

(डी0 पी0 सिंह),
संयुक्त सचिव।